न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3414—एक / 2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—08—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 2118 / अपील / 2011—12.

....

रामशंकर पुत्र श्री करन सिंह ब्राम्हण
निवासी पचौरी का पुरा मौजा पोरसा
तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1— राम खिलाड़ी पुत्र श्री गंगाधर
2—रामलखन पुत्र श्री गंगाधर
3—रामगोपाल पुत्र श्री गंगाधर
महिला भगवान देवी बेवा पत्नी गंगाधर ब्राहम्ण
निवासी पचौरी का पुरा मौजा पोरसा
तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, आवेदक एवं
श्री अतुल कम्ठान अभिभाषक आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेयी अभिभाषक अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा पोरसा में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 2381, रकवा 0.784 है0 सर्वे क0 1958 रकवा 0.418 है0 सर्वे कमांक 2097, रकवा 0.627 है0 सर्वे 2375 रकवा 0.554 है0 सर्वे कमांक 2382 रकवा 0.502 है0 सर्वे कमांक 1484/1 मि–1 रकवा 0.011 है0 सर्वे कमांक 1485/1 मिन सर्वे कमांक 8509 रकवा 1.000 है0 सर्वे कमांक 1596 रकवा 0.008 है0 सर्वे कमांक 1597 मिन 31 रकवा 0.004 है0 सर्वे कमांक 1781 मिन 6,1782 मिन 1 1783 मिन 3 रकवा 3186 वर्गफीट जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी करन सिंह पुत्र हरबिलास थे। अभिलिखित भूमिस्वामी करन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण नामांतरण पंजी कमांक 132 दिनांक 16.6.2011 में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर तहसीलदार पोरसा द्वारा दिनांक 16.7.2011 से मृतक करन सिंह के स्थान आवेदकगण एवं अनावेदकगण के हक में समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया। तहसीलदार पोरसा के नामांतरण प्रमाणीकरण दिनांक 16.7.2011 से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 8.5.12 से निरस्त की गई, अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई उनके द्वारा दिनांक 27.8.2015 को अधीनस्थ न्यायालयों आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की पैतृक संपत्ति है, क्यों कि विवादित भूमि एवं अन्य संपत्ति मृतक करनसिंह की स्वसंपत्ति एवं स्वअर्जित संपत्ति नहीं है। तथाकथित वसीयतनामें में विवादस्य संपत्ति स्वअर्जित एवं स्वसम्मत्ति होने का कोई भी उल्लेख नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रकरण में विवादस्य भूमि करन सिंह की स्वअर्जित

संपत्ति प्रमाणित करने के संबंध में अनावेदकगण द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का उक्त केवल कयास पर आधारित है एवं निरस्तनीय है । वसीयतनामे को प्रमाणित मानने में वैधानिक त्रुटि की गई है क्यों कि वसीयतनामा उसके साक्षीगण रामप्रकाश, राधेश्याम की साक्ष्य से साक्ष्य अधिनियम की धारा–68 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित एवं साबित नहीं है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदक कमांक 1 से 3 तथाकथित वसीयतनामा को धारा–63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित करने में पूर्णत असफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 को समझने में वैधानिक त्रुटि की गयी है, प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का विधि अनुरूप कोई भी विचार एवं मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा अपने उक्त आदेश में उस पर कोई विवेचन नहीं किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्तनीय है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना का आदेश दिनांक 27.8.15 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण के हक में मृतक भूमिस्वामी करन सिंह द्वारा अपने जीवल काल में वसीयतनामा संपादित किया गया था। उक्त वसीयतनामे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण कराने से पहले न तो इश्तहार का प्रकाशन कराया गया और नही अनावेदकगण जो हितबद्व पक्षकार थे उनको भी कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों का पालन न करते हुये नामांतरण स्वीकार किया गया है जो प्रथम दृष्टि में ही त्रुटिपूर्ण था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि आवेदक द्वारा एक व्यवहारवाद भी करनसिंह के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्बाह द्वारा दिनांक 18.11.02 का निरस्त कर दिया गया है उक्त व्यवहार वाद में मृतक करन सिंह की भूमि में आवेदक रामशंकर को 1/2 भाग का भूमिस्वामी नहीं माना। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक को भली भांति जानकारी थी कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक करन सिंह की स्वअर्जित संपत्ति है तथा अनावेदकगण के हंक में वसीयतनामा किया गया है

फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई थी। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यह निर्विवाद है कि आवेदक रामशंकर मृतक करन सिंह का पुत्र है किन्तु मृतक करनसिंह द्वारा आवेदक को ग्राम पोरसा में जमीन, व प्लाट, मकान आदि अलग से खरीद कर दिये गये है। इसके अलावा नगदी, जेवरात, देकर उसे अपने जीवनकाल में ही अलग कर दिया गया था शेष संपत्ति थी वह मृतक करन सिंह की स्वअर्जित संपत्ति थी जिसकी वसीयत के आधार पर अनावेदकगण नामांतरण कराने के अधिकारी थे। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.15 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसका श्रवण किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनकी निगरानी में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पोरसा में स्थित प्रश्नाधीन भूमियां जिनके अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक करनसिंह थे, मृतक करन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 26.12.1998 को विवादित भूमियों की वसीयत अनावेदकगण के हक में संपादित की गयी थी। अभिलिखित भूमिस्वामी करन सिंह की मृत्यु दिनांक 7.2.05 को हुयी । करनसिंह की मृत्यु हो जाने के वाद अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया आवेदन पटवारी मौजा को भेंजा गया, पटवारी मौजा ने वसीयत को नजर अंदाज कर सजरा खानदान के अनुसार नामांतरण पंजी कमांक 132 पर दिनांक 16.6.11 पर वारिसान के आधार पर टीप दर्ज की जाकर दिनांक 16.7.2011 से नामांतरण प्रमाणीकरण करा लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह माना गया है कि मृतक करनसिंह द्वारा जिन भूमियों की वसीयत अनावेदकगण के हक में की गयी है वे भूमियां कौन सी हैं तथा स्वअर्जित भूमियां है या नहीं स्पष्ट नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पहले अभिलेख का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये। आवेदक द्वारा इसी संबंध में एक व्यवहार वाद माननीय व्यवहार न्यायालय में दायर किया था जो प्रकरण

कमांक 304ए/2002/ई0दी0 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 18.11.2002 से निर्णित किया गया था। उक्त व्यवहार वाद में प्रश्नाधीन भूमियां मृतक करन सिंह की स्वअर्जित संपत्ति होना स्वीकार किया गया है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया गया है। यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रश्नाधीन भूमियां मृतक करनसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है। प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी का अध्ययन करने पर यह प्रकट होता है कि नामांतरण करने से पहले न तो विधिवत इश्तहार जारी किया गया है और न ही हित रखने वाले सभी पक्षकारों को कोई सूचना दी गई है। वसीयतकर्ता करन सिंह की मृत्यु वर्ष 2005 में हुई थी मृत्यु हो जाने के वाद वर्ष 2011 तक आवेदक रामशंकर द्वारा अपने नाम नामांतरण कराये जाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चंबल सभांग मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह का प्रकरण कमांक 135/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 8.5.12 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 118/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27–8–2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर